

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला योजना)

-:: सूचना ::-

जिला नवप्रवर्तन निधि के तहत रामगढ़ जिले के 25 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के अधिष्ठापन हेतु प्रकाशित निविदा के निमित्त इस कार्यालय के पत्रांक 222/जि0यो0 दिनांक 18.03.2020 द्वारा EOI में आवश्यक सुधार करते हुए निविदा की तिथि दिनांक 25.03.2020 निर्धारित की गयी है।

वर्तमान में सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आदेश संख्या 98 दिनांक 22.03.2020 द्वारा झारखण्ड राज्य महामारी रोग (COVID-19) विनियम, 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए झारखण्ड राज्य में दिनांक 31.03.2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (lock down) का निर्णय लिया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेशानुसार दिनांक 25.03.2020 को आहूत निविदा समिति की बैठक अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। निविदा की अगली तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना रामगढ़ जिला के वेबसाइट/पोर्टल <https://ramgarh.nic.in/> पर दी जाएगी।

ह0/—

उप विकास आयुक्त,

रामगढ़।